प्रेस विज्ञप्ति

राज भवन, राँची

दिनांक : 06 मार्च, 2025 :-

(1) माननीय राज्यपाल श्री संतोष कुमार गंगवार ने आज झारखण्ड गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवा के वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता-2025 का उद्घाटन करते हुए कहा कि खेलकूद हमारे जीवन में अनुशासन, टीम भावना और स्वस्थ प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ावा देता है। यह शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने झारखण्ड गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवा विभाग द्वारा अपने जवानों के स्वास्थ्य और मनोबल को बढ़ाने के लिए इस तरह के आयोजन की सराहना की।

राज्यपाल महोदय ने गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवा के जवानों द्वारा राज्य की आंतरिक सुरक्षा और आपदा प्रबंधन में निभाई जा रही भूमिका की सराहना की। उन्होंने कहा कि हमारे अग्निशमन कर्मी अपनी जान की परवाह किए बिना आगलगी की घटनाओं को रोकने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि केंद्र सरकार द्वारा झारखण्ड अग्निशमन विभाग को 150 करोड़ रुपये आवंटित किए जा रहे हैं, जिससे इस विभाग की तकनीकी दक्षता और प्रभावशीलता

में वृद्धि होगी। माननीय राज्यपाल ने विगत वर्ष माननीय राष्ट्रपति द्वारा 'वीरता पुरस्कार' से सम्मानित अग्निशमन कर्मी को बधाई दी।

राज्यपाल महोदय ने कहा कि झारखण्ड गृह रक्षा वाहिनी के जवान राज्य के विभिन्न प्रतिष्ठानों की सुरक्षा, ट्रैफिक व्यवस्था और चुनावी प्रक्रियाओं में भी अपनी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते आ रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि गृह रक्षकों के मानदेय में वृद्धि होने से उनके पारिवारिक जीवन और बच्चों की शिक्षा में सहायता मिल रही है। उन्होंने सुझाव दिया कि गृह रक्षकों को 'स्वास्थ्य बीमा' की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाए।

माननीय राज्यपाल ने सभी प्रतिभागियों को शुभकामनाएँ देते हुए आशा व्यक्त की कि यह वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता जवानों को अपनी प्रतिभा दिखाने और एक-दूसरे के साथ स्वस्थ प्रतिस्पर्द्धा करने का अवसर प्रदान करेगी। उन्होंने सभी के उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

(2) माननीय राज्यपाल श्री संतोष कुमार गंगवार से आज राँची जिला युवा कांग्रेस कमिटी के पूर्व महासचिव एवं प्रभारी, राँची विधानसभा श्री रोहित सिन्हा ने राज भवन में भेंट की तथा माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद भी शहर के 33 अवैध बार पर कार्रवाई नहीं करने के संदर्भ में एक ज्ञापन समर्पित किया। ज्ञापन के माध्यम से कहा गया है कि माननीय उच्च न्यायालय ने राजधानी रांची में रूफटॉप में अवैध रूप से चल रहे 33 बार के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश कई महीने पहले रांची नगर निगम एवं उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग को दिया है। लेकिन अवैध बार के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग और रांची नगर निगम के अधिकारियों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय को गुमराह करते हुए अवैध बार के माध्यम से शराब बेचने वाले संचालकों को सहयोग किया जा रहा है, जबकि बिल्डिंग बायलॉज के अनुसार रूफटॉप में निर्माण और व्यवसाय करना वर्जित है। इसके बावजूद उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के अधिकारियों द्वारा रांची शहर में 36 रूफटॉप में चल रहे बार को लाइसेंस दिया गया। इस मामले में रांची नगर निगम ने भी कोई आपत्ति नहीं करते हुए अवैध बार संचालकों को सहयोग किया है। श्री सिन्हा ने यह भी कहा है कि शहर में फुटपाथ पर दुकान चलाने वाले लोगों के दुकानों को

तोड़कर उनका सामान नगर निगम के द्वारा जप्त कर लिया जाता है। जबकि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा राजधानी रांची में रूफटॉप पर चल रहे 33 बार को अवैध घोषित कर दिया गया। इसके बावजूद नगर निगम द्वारा न तो बार को सील कर सामान जप्त किया गया है और न ही उस भवन के मालिक के ऊपर कोई केस किया गया है। इसी तरह उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के अधिकारियों द्वारा भी न तो बार का लाइसेंस रद्द किया गया और न ही अवैध बार संचालकों के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है। कुछ अवैध बार संचालकों को सहयोग पहुंचाने के लिए उत्पाद विभाग और नगर निगम द्वारा कानून में बदलाव करने का प्रयास किया जा रहा है जिससे कि माननीय उच्च न्यायालय का निर्देश निष्प्रभावी हो जाए और अवैध बार वैध बन जाए।

ज्ञापन में कहा गया कि रूफटॉप में व्यवसाय और निर्माण करने की स्वीकृति वाला कानून बन जाएगा तो इससे राज्य के हजारों अपार्टमेंट प्रभावित होंगे। श्री सिन्हा ने रूफटॉप पर अवैध रूप से संचालित बार पर कार्रवाई करने के माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन कराने के लिए उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग और रांची नगर निगम के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश देने हेतु आग्रह किया।